70

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त, 1994 (श्रावण 28, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) पटल पर रखेंगे.

3. फरवरी-मई, 1994 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

4. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मई, 1994 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि :-

" सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

(2) श्री जसवंत सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है."

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री बाबूलाल गौर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बच्चन नायक, सदस्य, मुरैना जिले की उप जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), श्री बच्चन नायक, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, बालाघाट जिले के रूपझर थानान्तर्गत नक्सलवादियों के हमले से पुलिस कर्मियों की हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166-खेरथा के सदस्य श्री प्यारेलाल बेलचंदन को विधानसभा के अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. सभापति तालिका की घोषणा

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 25 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय	**11. अशासकीय संकल्प**
	(1) सर्वश्री सुरेन्द्र वर्मा, नेमीचन्द जैन, रंजीतसिंह गुणवान, लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
40 मिनिट	" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश एवं प्रदेश की शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय गान एवं गीत गाये जाने हेतु संविधान में कानूनी प्रावधान किया जाय."
	(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मिनिट	" इस सदन का मत है कि रायपुर में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बैंच स्थापित की जाय."
	(3) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
20 मिनिट	" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रतलाम से उदयपुर एवं डूंगरपुर (राजस्थान) व्हाया बांसवाड़ा रेल लाइन डाली जाय."
	(4) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
20 मिनिट	" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ललितपुर से रीवा व्हाया टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना को रेलवे लाइन से जोड़ा जाय."
	(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
40 मिनिट	" सदन का मत है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना कायम कर उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों को ही पदस्थ किया जाय".

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 अगस्त, 1994